राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमूं हाऊस, जयपुर (राज.) 302001

Email Address:- rsrtc.emprop@gmail.com

दूरभाष : 0141-2374648 फैक्स : 0141-2374658

क्रमांकः मुख्या/सम्पति/एल–55/2025/1543 दिनांकः– 04/11/2025

कार्यालय आदेश

राज्य में विभिन्न स्थानों पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा बस स्टैण्ड हेतु भूमि अथवा भूमि सहित भवन निर्माण कर दानस्वरूप उपलब्ध करवाये जाने के सन्दर्भ में निगम संचालक मण्डल (निर्णय संख्या 48/2025) की सहमति से निम्नानुसार नीति/निर्देश जारी किये जाते है:–

1. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा बस स्टैण्ड हेतु भूमि अथवा भूमि सहित भवन दानस्वरूप उपलब्ध करवाये जाने के प्रस्ताव की अनुमति हेतु संबंधित आगार अथवा मुख्यालय स्तर पर आवेदन किया जा सकता है।
2. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा निगम को केवल भूमि दान स्वरूप उपलब्ध करवा सकता है अथवा भूमि सहित भवन का निर्माण करवाकर निगम को उपलब्ध करवा सकता है।
3. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि सहित भवन निर्माण करवाकर निगम को उपलब्ध करवाये जाने की स्थिति में निर्माण कार्यो हेतु पूर्व में निगम द्वारा जारी आदेश कमांक 114 दिनांक 08.02.24 की शर्ते लागू रहेगी (संलग्न अ)।
4. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा निगम को बस स्टेण्ड हेतु भूमि दान किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है तो प्राप्त प्रस्तावों के संबध में संबधित आगारीय कमेटी द्वारा गुँणावगुण के आधार पर मौका निरीक्षण कर यात्रियों की सुविधा एवं वाहनों के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर निगम द्वारा भूमि को दानस्वरूप लिया जावे अथवा नहीं की स्पष्ट अभिशंषा कर आगारीय कमेटी के प्रस्ताव 15 दिवस में मुख्यालय को प्रेषित किये जावेगें।
5. आगारीय कमेटी के प्रस्ताव को मुख्यालय की उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी (निम्नानुसार) द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण कर यात्रियों की सुविधा एवं वाहनों के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा भूमि को दानस्वरूप लिया जावे अथवा नहीं की स्पष्ट अभिशंषा कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) को 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी–
   1. महा प्रबन्धक (यातायात)
   2. संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त)
   3. कार्यकारी प्रबन्धक (सम्पत्ति)
   4. कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण)
6. उक्त गठित कमेटी द्वारा प्रस्तावित भूमि को यात्रियों की सुविधा एवं वाहनो के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाए जाने पर प्रस्तावों का कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाया जावेगा।
7. सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा दान स्वरूप दी जाने वाली भूमि के संबध में **निम्न शर्तो** पर निगम को उपलब्ध करवाये जाने हेतु सहमति से अवगत करवाया जावेगा–
   a) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा निगम को उपलब्ध करवाए जाने वाली भूमि के संबध में उपहार विलेख (Gift Deed) किये जाने की दिनांक से भूमि का पूर्ण स्वामित्व निगम का होगा तथा भविष्य में इसके किसी भी प्रकार के उपयोग हेतु निगम स्वतंत्र होगा। गिफ़्ट डीड निष्पादन के पश्चात् प्रथम पक्ष व उनके समस्त विधिक उत्तराधिकारियों, एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मचारी व उनके वारिसान को भूमि का किसी भी प्रकार से उपयोग में लेने का कोई हक–हकूक एंव रहन–वय/मुंतकिल के अधिकार नहीं होंगे।

   b) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विरूद्ध दान स्वरूप दी जाने वाली भूमि के संबध में किसी भी प्रकार का न्यायिक वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by G[illegible]d Mal Verma
Designation: [illegible]ive Director
Date: 2025.11.[illegible]7:11:48 IST
Reason: Approved

RajKaj 186
eSign 1.0

c) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात उपलब्ध भूमि के समीप अन्य भूमि पर वाणिज्यिक/आवासीय निर्माण करवाया जाता है तो उनके प्रवेश द्वार/निकास द्वार/खिड़की निगम भूमि की तरफ नहीं किये जा सकेगें।

d) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात उक्त भूमि से किसी प्रकार का किराया या मुआवजा निगम से प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

e) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात दानदाता (भू–स्वामी) के वारिस/उत्तराधिकारी/संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि को भू–अभिलेखों के निष्पादन की दिनांक के पश्चात भूमि पर किसी प्रकार का कोई न्यायिक अधिकार नहीं होगा। वारिस/उत्तराधिकारी/संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का विरोध अथवा न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष व उनके समस्त विधिक उत्तराधिकारियों, एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मचारी व उनके वारिसान को भूमि का किसी भी प्रकार से उपयोग में लेने का कोई हक–हकूक व आधिपत्य नहीं होगा।

f) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात निगम द्वारा बस स्टेण्ड निर्माण करवाया जाकर संचालित किये जाने पर पूर्ण यात्री भार नहीं मिलने की स्थिति में निगम उक्त बस स्टेण्ड से निगम वाहनों का संचालन किये जाने के लिए बाध्य नहीं होगा। बस स्टेण्ड संचालित नहीं किये जाने की स्थिति में भी दानस्वरूप निगम को प्राप्त भूमि पर निगम का ही स्वामित्व होगा। उक्त भूमि दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान अथवा उसके वारिसों द्वारा भूमि लौटाये जाने की मांग अथवा न्यायलय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

g) दानस्वरूप निगम को प्राप्त भूमि पर बस स्टैण्ड संचालित किये जाने पर निजी वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

h) दानस्वरूप निगम को प्राप्त भूमि पर बस स्टैण्ड निर्माण निगम द्वारा यात्री सुविधाओं व वाहनों के सुगम संचालन के दृष्टिगत स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण करवाया जावेगा।

i) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने की दिनांक से पूर्व का उक्त भूमि के संबध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, न्यायालय निर्णय के अनुसार किसी भी दावे के लिए दानदाता (भू–स्वामी) स्वयं जिम्मेदार होगें एवं निगम इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। भविष्य में भी दानस्वरूप से दी जाने वाली भूमि के संबध में किसी भी सक्षम न्यायालय/अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई क्लेम दिये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं तो उसका भुगतान दानदाता (भू–स्वामी) द्वारा किया जावेगा।

j) बस स्टैण्ड हेतु सुपुर्द की गई इस भूमि व निर्माण कार्य का उपयोग बस स्टेण्ड पर बसों से संबंधित कार्य (मरम्मत, Charging, Fueling इत्यादि)एवं यात्रियों की सुविधा हेतु वाणिज्यिक उपयोग हेतु ही रहेगा।

k) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने वाले भू–भाग को चिन्हित/सीमांकन (Demarcation) करवाकर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सुपुर्द/समर्पित कर देगा।

l) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात भविष्य में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर लागू होने की स्थिति में ऐसे सभी करों एवं बस स्टेण्ड हेतु लागू नियमों की पालना का दायित्व, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का ही होगा।

m) दानदाता द्वारा स्वयं बस स्टैण्ड का निर्माण कराने की स्थिति में प्रस्तावित बस स्टेण्ड की भूमि पर बस स्टेण्ड निर्माण से पूर्व भूमि के विभाजन, सीमांकन, भू–उपयोग परिवर्तन, भू–रूपान्तरण, मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य वांछित कार्यवाही दानदाता (भू–स्वामी) द्वारा संपादित की जाएगी एवं इससे संबंधित समस्त व्यय भी उनके द्वारा वहन किया जायेगा।

n) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने के दौरान प्रस्तावित भूमि की गिफ्ट डीड विधिवत रूप से दानदाता (भू–स्वामी) , मुख्तारनामाधारी (Power of Attorney) द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवायी जाएगी तथा इस संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं समस्त व्यय दानदाता (भू–स्वामी) द्वारा ही वहन किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by G d Mal Verma
Designation : xe ive Director
Date: 2025.11. 7:11:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18657089
eSign 1.0

8. निगम के बस स्टैण्ड हेतु भूमि उपलब्ध करवाये जाने की स्थिति में उनके द्वारा चाहे जाने पर निगम बस स्टैण्ड पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान के नाम के साथ निगम बस स्टैण्ड का नामकरण किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी:.

क्र.सं.	बस स्टैण्ड की श्रेणी	भूमि का दान दिये जाने की दिनांक को न्यूनतम मूल्य (डीएलसी दर) एवं क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	"अ" श्रेणी (संभाग मुख्यालय के बस स्टैण्ड)	न्यूनतम 7000 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर के आधार पर कुल कीमत एवं उस पर निर्माण कराये जाने वाले भवन की कुल लागत दोनों का योग 5 करोड़ से अधिक होने पर।
2	"ब" श्रेणी (जिला मुख्यालय के बस स्टैण्ड)	न्यूनतम 6000 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर के आधार पर कुल कीमत एवं उस पर निर्माण कराये जाने वाले भवन की कुल लागत दोनों का योग 3 करोड़ से अधिक होने पर।
3	"स" श्रेणी (अन्य समस्त बस स्टैण्ड)	न्यूनतम 5000 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर के आधार पर कुल कीमत एवं उस पर निर्माण कराये जाने वाले भवन की कुल लागत दोनों का योग 1 करोड़ से अधिक होनें पर।

नामकरण में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बाद दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा अवगत करवाये गये नाम को जोडे जाने की अनुमति दी जावेगी। जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम........................(दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा सुझाया गया नाम), बस स्टैण्ड, ...,(स्थान का नाम)

9. बिन्दु संख्या 08 में वर्णित मापदण्ड की पालना पूर्ण नहीं होने की स्थिति में निम्नांकित शर्तो में से एक शर्त पूर्ण करने पर निगम बस स्टैण्ड पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान के नाम की **3x4 feet** की शिलालेख की पट्टी निगम द्वारा उपयुक्त स्थान पर लगाई जा सकेगी:–

- क्र0सं0 1, 2 एवं 3 पर अंकित अ, ब, एवं स श्रेणी के बस स्टैण्डों पर व्यय की जाने वाली कुल राशि की 50 प्रतिशत राशि दानदाता/भामाशाह द्वारा व्यय किये जाने पर।

अथवा

- बस स्टैण्ड निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि जिसका मूल्य वर्तमान डी.एल.सी. दर के आधार पर कम से कम 50 लाख रूपये हो, पूर्णतः निःशुल्क दान दिये जाने पर।

.....................................(दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा सुझाया गया नाम) द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बस स्टैण्ड निर्माण हेतु भूमि प्रदान की गई है। अथवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की भूमि एवं भवन निर्माण की कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि वहन कर बस स्टैण्ड निर्माण में सहयोग किया गया हैं

10. विशेष परिस्थिति :– उक्त नीति/निर्देशों से भिन्न अन्य कोई स्थिति उत्पन्न होने पर (यथा बजट घोषणा के अन्तर्गत भामाशाह द्वारा भूमि दान स्वरूप भेंट करने सम्बन्धित प्रकरण/राज्य सरकार से बस स्टैण्ड का नामकरण अमुक व्यक्ति/संस्था के नाम करने के निर्देश दिये जाने पर), उपर्युक्त शर्तो को शिथिल करते हुये निगम संचालक मण्डल से सहमति उपरान्त राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जावें।

(चाँद मल वर्मा)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Signature valid
Digitally signed by Chand Mal Verma
Designation : Executive Director
Date: 2025.11.0 17:11:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18657089
eSign 1.0

क्रमांकः मुख्या/सम्पति/एल–55/2025/ 1543 दिनांकः– 04/11/2025

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीया अध्यक्ष महोदया, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष........................., रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. जोनल मैनेजर,.............................जोन, रापनि, मुख्याल, जयपुर।
5. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, रापनि,...

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by [illegible]d Mal Verma
Designation: [illegible]tive Director
Date: 2025.11.[illegible]7:11:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18657089
eSign 1.0

परिशिष्ट-1 (204)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस, जयपुर 302001।
दुरभाषः—0141—2374674 इमेलः rsrtc.secivil@gmail.com

क्रमांकः एफ./मु/निर्माण/2024/114 दिनांकः— 08.02.2024

कार्यालय आदेश

निगम बस स्टेण्डों पर दानदाताओं/भामाशाहों/औधोगिक संस्थानों द्वारा सहयोग के संबंध में निगम मण्डल के निर्णय संख्या 08/2024 के अनुसरण में नवीन दिशा—निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैः—

1. जिन प्रकरणों में पूर्व दिशा—निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उनमें पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जावे।
2. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा बस स्टैण्ड पर निर्माण कार्य करवाए जाने की अनुमति हेतु संबंधित मुख्य प्रबन्धक अथवा मुख्यालय स्तर पर आवेदन किया जा सकता है।
3. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा निर्माण कार्य हेतु निगम को राशि उपलब्ध करवाकर निगम स्तर से निर्माण कार्य संपादित करवाया जा सकता है अथवा स्वयं के स्तर पर भी निर्माण कार्य करवाया जा सकता है।
4. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा आवेदन में निर्माण कार्य स्वयं के स्तर से करवाया जाना प्रस्तावित किया जाता है तो दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान को स्वयं के स्तर से ही प्रस्तावित कार्य का मानचित्र व डीपीआर तैयार करवाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसका मुख्यालय स्तर पर निम्नांकित अधिकारियों की कमेटी द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावेगेंः—
   1. महा प्रबन्धक (यातायात)
   2. उप महा प्रबन्धक (वित्त)
   3. कार्यकारी प्रबन्धक (सम्पत्ति)
   4. कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण)
   5. संबंधित मुख्य प्रबन्धक
5. निगम द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. मय मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य संपादित करवाया जावेगा।
6. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा सम्पूर्ण निर्माण/आंशिक निर्माण/इकाई यथा—शौचालय ब्लॉक, प्याऊ इत्यादि का निर्माण कार्य करवाया जा सकता है।
7. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों/निर्मित बस स्टैण्ड का पूर्ण स्वामित्व निगम का होगा तथा भविष्य में इसके किसी भी प्रकार के उपयोग हेतु निगम स्वतंत्र होगा।

RajKaj Ref 5564796

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Didel
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.08 .37:21 IST
Reason: Approved

8. निर्माण कार्य निगम स्तर से संपादित करवाया जाता है तो निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि या क्षति हेतु दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
9. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत निगम को सुपुर्दगी के पश्चात नवनिर्मित बस स्टैण्ड के सम्बन्ध में दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
10. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विरूद्व किसी भी प्रकार का न्यायिक वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
11. निगम के बस स्टैण्डों पर निम्नानुसार राशि का निर्माण कार्य दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा संपादित करवाये जाने की स्थिति में उनके द्वारा चाहे जाने पर निगम बस स्टैण्ड पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान के नाम के साथ निगम बस स्टैण्ड का नामकरण किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी:

क्र. सं.	बस स्टैण्ड की श्रेणी	न्यूनतम विकास कार्य की लागत एवं रख–रखाव अवधि
1	"अ" श्रेणी (संभाग मुख्यालय के बस स्टैण्ड)	प्रस्तावित निर्माण कार्य की भूमि की वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा तीन करोड रूपये जो भी अधिक हो, साथ ही निर्मित बस स्टेण्ड का 01 वर्ष तक रख–रखाव करना होगा।
2	"ब" श्रेणी (जिला मुख्यालय के बस स्टैण्ड)	प्रस्तावित निर्माण कार्य की भूमि की वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा एक करोड रूपये जो भी अधिक हो, साथ ही निर्मित बस स्टेण्ड का 01 वर्ष तक रख–रखाव करना होगा।
3	"स" श्रेणी (अन्य समस्त बस स्टैण्ड)	प्रस्तावित निर्माण कार्य की भूमि की वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा पचास लाख रूपये जो भी अधिक हो, साथ ही निर्मित बस स्टेण्ड का 01 वर्ष तक रख–रखाव करना होगा।

नामकरण में निगम बस स्टैण्ड से पहले दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा अवगत करवाये गये नाम को जोडे जाने की अनुमति दी जावेगी। (यथा:– .... (दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा सुझाया गया नाम) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बस स्टैण्ड, ...")
12. बिन्दु संख्या 11 की पालना नहीं होने/आंशिक निर्माण/इकाई यथा–शौचालय ब्लॉक, प्याऊ इत्यादि के दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों हेतु निर्मित क्षेत्र के उपयुक्त स्थान पर 18"X12" साईज की शिलालेख लगवायी जा सकती है।
13. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान के स्तर से निर्माण कार्य संपादित करवाये जाने की स्थिति में:–

Signature valid
Rajkaj Ref 5564796
Digitally signed by N... Dudi
Designation: Managing Director
Date: 2024.0...37:21 IST
Reason: Appro...

i. भवन निर्माण के सम्बन्ध में सभी प्रकार के राजकीय स्वीकृति भामाशाह को स्वयं के स्तर से प्राप्त करनी होगी। परिवहन निगम उक्त कार्य हेतु आवश्यक दस्तावेज दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान को उपलब्ध करवायेगा तथा सहयोग करेगा।

ii. बस स्टैण्ड पर निर्माण कार्य एम.ओ.यू. मे निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण करना होगा। निर्माण कार्य की अवधि का निर्धारण निर्माण शाखा मुख्यालय स्तर से किया जावेगा।

iii. निर्माण कार्य परिवहन निगम द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. मय मानचित्र के अनुसार उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये करवाना होगा, यह संबंधित मुख्य प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित करना होगा।

iv. निर्माण कार्य का निरीक्षण मुख्यालय के उच्चाधिकारियों तथा निर्माण शाखा, मुख्यालय के अभियन्ता द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा तथा निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान को कराना होगा।

v. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा वर्तमान बस स्टैण्ड के नवीन निर्माण/नवीनीकरण के दौरान होने वाले डिस्मेंटल से प्राप्त होने वाले उपयोगी मैटेरियल की राशि दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा संबंधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में जमा करवानी होगी। डिस्मेन्टल मैटेरियल की राशि का निर्धारण दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान तथा निर्माण शाखा, मुख्यालय के अभियन्ता एवं मुख्य प्रबन्धक संयुक्त रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तय किया जावेगा।

vi. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा वर्तमान बस स्टैण्ड को डिस्मेंटल कर नया बस स्टैण्ड निर्माण करवाया जाता है तो निर्माण शाखा द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित नियमों के अनुसार वर्तमान बस स्टैण्ड के भवन के मूल्य का निर्धारण किया जावेगा। निर्धारित राशि की बैंक गारण्टी दानदाता/भामाशाह/ औद्योगिक संस्थान को परिवहन निगम के पक्ष में संबंधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में सुरक्षा राशि के रूप में अग्रिम जमा करवानी होगी। बस स्टैण्ड के निर्माण तथा विधिवत रूप से बस स्टैण्ड सुपुर्दगी के पश्चात उक्त बैंक गारण्टी संबंधित को लौटा दी जावेगी।

vii. बस स्टैण्ड पर निर्माण के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या क्षति होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का होगा, इससे सम्बन्धित सभी प्रकार के हर्जाने का भुगतान दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा करना होगा।

viii. दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा जमा अग्रिम बैंक गारण्टी परिवहन निगम द्वारा निम्नांकित किसी भी एक स्थिति में जब्त की जावेगी:–

a) दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान द्वारा [illegible] शर्तों का [illegible] नहीं करने पर।

b) निगम द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. मय [illegible] नहीं करने पर।

Signature valid
RajKaj Ref 556[illegible]
Digitally signed by N[illegible]mal Didel
Designation: Man[illegible]g Director
Date: 2024.0[illegible]8 [illegible]:37:21 IST
Reason: Appro[illegible]

c) दानदाता / भामाशाह / औद्योगिक संस्थान द्वारा उक्त बस स्टैण्ड का निर्माण एम.ओ.यू. मे निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने पर।

d) दानदाता / भामाशाह / औद्योगिक संस्थान द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य अधूरा छोडने पर।

14. दानदाता / भामाशाह / औद्योगिक संस्थान एवं निगम द्वारा उक्त सभी बिन्दुओं पर सहमत होते हुये विधिवत एम.ओ.यू. संबंधित मुख्य प्रबन्धक के स्तर पर निष्पादित किया जावेगा, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क एवं समस्त व्यय दानदाता / भामाशाह / औद्योगिक संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

15. राज्य सरकार द्वारा किसी महापुरूष / संस्था / भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्रता सेनानी / अन्य के नाम से बस स्टैण्ड का नामकरण करने के निर्देश दिये जाने की स्थिति में निगम द्वारा नामकरण के प्रस्ताव निगम संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार को प्रेषित किए जावेंगे। राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर नामकरण की स्वीकृति जारी की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

कमांकः एफ / निर्माण / 2024 / **दिनांकः–**

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रापनि, मु. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मु. जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष.......................... रापनि, मु. जयपुर।
4. सचिव, रापनि, मु. जयपुर।
5. महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक.................... रापनि, मु. जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक(आई.टी) रापनि, मु. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को निगम वेबसाइट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
7. जोनल मैनेजर.................. रापनि, ...
8. कार्यकारी प्रबन्धक(.......................), रापनि, मु. जयपुर।
9. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला रापनि, ...
10. मुख्य प्रबन्धक, रापनि, ...आगार।
11. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid
RajKaj Ref 5564796
Digitally signed by N mal Didel
Designation Man g Director
Date: 2024.0 8 :37:21 IST
Reason: Appro